न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :–3/2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनूं।
–बनाम–
संदीप उर्फ मोटिया पुत्र चन्दगीराम, जाति जाट, निवासी ओजटू, थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 खण्ड (ख)(5)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–
1. सरकार की ओर से :–श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. गैर सायल की ओर से :– अनुपस्थित

–निर्णय–

दिनांक 27.01.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 16.12.2012 को गैरसायल संदीप उर्फ मोटिया पुत्र चन्दगीराम, जाति जाट, निवासी ओजटू, थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि संदीप उर्फ मोटिया पुत्र चन्दगीराम, जाति जाट, निवासी ओजटू, थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं का रहने वाला है जो आदतन मारपीट व लडाई झगडा करने का आदन अपराधी है। यह अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण ग्राम ओजटू व कस्बा चिडावा मे आम नागरिकों को भयभीत एवं आंतकित करके रखता है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर लगातार इजाफा हो रहा है। इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाना पर सूचना देने या रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसके आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी व समाज पर विपरीत असर पड रहा है। इसके खिलाफ अब तक 12 अभियोग विभिन्न धाराओं मे पंजीबद्ध होकर विचाराधीन न्यायालय चल रहे है। इसके जिले की सीमाओं मे रहने से आपराधिक गतिविधियों को बढावा मिलेगा। संदीप उर्फ मोटिया पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी ओजटू द्वारा किये गये आपराधिक कृत्यों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. अभियोग संख्या 107/2001 धारा 143, 341, 323 भादस थाना बगड़ पर पंजीबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 72/2001 धारा 341, 323, 324, 34 भादस में तैयार कर दिनांक 25.07.2002 को पेश न्यायालय किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–1 है।
2. अभियोग संख्या 29/02 धारा 147, 341, 323, 427, 379 भादस थाना बगड़ पर दर्ज होकर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 52/02 धारा 147, 341, 427 भादस में तैयार कर दिनांक 11.11.2012 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–2 पर है।
3. अभियोग संख्या 128/03 धारा 143, 452, 427, 379 में थाना चिड़ावा पंजीबद्व कर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 122/03 धारा 452, 323, 427, 34 भादस में तैयार कर दिनांक 4.09.2003 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–3 पर है।
4. अभियोग संख्या 314/03 धारा 143, 341, 323 भादस थाना चिड़ावा पर पंजीबद्व कर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 221/03 जुर्म धारा 341, 323, 34 भादस में तैयार कर दिनांक 8.01.2004 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। [illegible] रिकार्ड परिशिष्ट –4 पर है।
5. अभियोग संख्या 141/04 धारा 341, [illegible] पंजीबद्व किया जाकर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 141/04 धारा [illegible] 34 भादस में तैयार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

(108)

दिनांक 30.06.2004 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–5 पर है।

अभियोग संख्या 238/08 धारा 143, 447, 427 भादस थाना चिड़ावा पर दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 176/08 धारा 143, 447, 427 भादस में तैयार कर दिनांक 30.10.2008 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट– 6 पर है।

अभियोग संख्या 196/09 धारा 341, 323, 379 भादस थाना चिड़ावा पर दर्ज कर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 125/09 धारा 341, 323 भादस थाना चिडावा में तैयार कर दिनांक 27.07.09 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट– 7 पर है।

अभियोग संख्या 342/09 धारा 143, 452, 379, 323 भादस थाना चिड़ावा पर दर्ज कर बाद अनुसंधाान नतीजा चार्जशीट संख्या 255/12 धारा 452, 323, 34, 380 भादस में तैयार कर दिनांक 16.12.2009 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–8 पर है।

अभियोग संख्या 256/11 धारा 143, 341, 323, 379, 120बी भादस थाना चिड़ावा पर दर्ज कर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 193/11 धारा 341, 323, 34 भादस में तैयार कर दिनांक 09.11.2011 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–9 पर है।

अभियोग संख्या 216/12 धारा 341, 323, 379 भादस व 3 एससी/एसटी एक्ट थाना चिड़ावा पर दर्ज किया जाकर बाद अनुसधान नतीजा चार्जशीट संख्या 217/12 धारा 341, 323, 34 भादस व 3 एससी/एसटी एक्ट में तैयार कर दिनांक 29.09.2012 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–10 पर है।

अभियोग संख्या 325/12 धारा 143, 323, 382 भादस थाना चिड़ावा पर दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 219/12 धारा 341, 323, 34 भादस में तैयार कर पेश न्यायालय की गई जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–12 पर है।

अभियोग संख्या 338/12 धारा 341, 323, 365 भादस थाना चिड़ावा पर दर्ज कर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 210/12 धारा 341, 323, 325 भादस में तैयार कर दिनांक 18.10.2012 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–12 पर है।

इस प्रकार उक्त संदीप उर्फ मोटिया पुत्र चन्दगीराम, जाति जाट, निवासी ओजटू, थाना चिडावा, झुंझुनूं का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर किया गया तथा दिनांक 03.11.2020 को गैरसालय न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ। गैरसायल द्वारा मे कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया। आज गैरसायल अनुपस्थित। गैरसायल के विरूद्व एकपक्षीय ही अमल मे लाई गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना ली झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं–

अभियोग संख्या 107/2001 धारा 143, 341, 323 भादस थाना बगड़ पर पंजीबद्व किया जाकर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 72/2001 धारा 341, 323, 324, 34 भादस में तैयार कर दिनांक 25.07.2002 को पेश न्यायालय किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धि[illegible]

अभियोग संख्या 29/02 धारा 147, 341, 323, 427, 379 भादस थाना बगड़ [illegible] कर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 52/02 धारा 147, 341, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:34 IST
Reason: SelfAttested

जिस्ट्रेट
नूं

11.11.2012 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–2 पर है।

3. अभियोग संख्या 128/03 धारा 143, 452, 427, 379 में थाना चिड़ावा पंजीबद्व कर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 122/03 धारा 452,323,427,34 भादस में तैयार कर दिनांक 4.09.2003 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–3 पर है।
4. अभियोग संख्या 314/03 धारा 143, 341, 323 भादस थाना चिड़ावा पर पंजीबद्व कर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 221/03 जुर्म धारा 341, 323, 34 भादस में तैयार कर दिनांक 8.01.2004 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट –4 पर है।
5. अभियोग संख्या 141/04 धारा 341, 323, 143, 379 भादस थाना चिड़ावा पर पंजीबद्व किया जाकर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 141/04 धारा 341, 323, 34, 325, 34 भादस में तैयार कर दिनांक 30.06.2004 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–5 पर है।
6. अभियोग संख्या 238/08 धारा 143, 447, 427 भादस थाना चिड़ावा पर दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 176/08 धारा 143, 447, 427 भादस में तैयार कर दिनांक 30.10.2008 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट– 6 पर है।
7. अभियोग संख्या 196/09 धारा 341, 323, 379 भादस थाना चिड़ावा पर दर्ज कर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 125/09 धारा 341, 323 भादस थाना चिडावा में तैयार कर दिनांक 27.07.09 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट– 7 पर है।
8. अभियोग संख्या 342/09 धारा 143, 452, 379, 323 भादस थाना चिड़ावा पर दर्ज कर बाद अनुसंधाान नतीजा चार्जशीट संख्या 255/12 धारा 452, 323, 34, 380 भादस में तैयार कर दिनांक 16.12.2009 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–8 पर है।
9. अभियोग संख्या 256/11 धारा 143, 341, 323, 379, 120बी भादस थाना चिड़ावा पर दर्ज कर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 193/11 धारा 341, 323, 34 भादस में तैयार कर दिनांक 09.11.2011 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–9 पर है।
10. अभियोग संख्या 216/12 धारा 341, 323, 379 भादस व 3 एससी/एसटी एक्ट थाना चिड़ावा पर दर्ज किया जाकर बाद अनुसधान नतीजा चार्जशीट संख्या 217/12 धारा 341, 323, 34 भादस व 3 एससी/एसटी एक्ट में तैयार कर दिनांक 29.09.2012 को पेश न्यायालय किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–10 पर है।
11. अभियोग संख्या 325/12 धारा 143, 323, 382 भादस थाना चिड़ावा पर दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 219/12 धारा 341, 323, 34 भादस में तैयार कर पेश न्यायालय की गई जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–12 पर है।
12. अभियोग संख्या 338/12 धारा 341, 323, 365 भादस थाना चिड़ावा पर दर्ज कर बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट संख्या 210/12 धारा 341, 323, 325 भादस में तैयार कर दिनांक 18.10.2012 को पेश न्यायालय किया गया । जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रकरण से सम्बन्धित रिकार्ड परिशिष्ट–12 पर है।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 12 प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है [illegible] गुण्डा [illegible] आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

(110)

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस विद्वान एपीपी–1 पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना चिडावा, जिला झुन्झुनू में अभियोग संख्या 107/2001 धारा 143, 341, 323 भादस, अभियोग संख्या 29/02 धारा 147, 341, 323, 427, 379 भादस, अभियोग संख्या 128/03 धारा 143, 452, 427, 379 अभियोग संख्या 314/03 धारा 143, 341, 323 भादस, अभियोग संख्या 141/04 धारा 341, 323, 143, 379 भादस, अभियोग संख्या 238/08 धारा 143, 447, 427 भादस, अभियोग संख्या 196/09 धारा 341, 323, 379 भादस, अभियोग संख्या 342/09 धारा 143, 452, 379, 323 भादस, अभियोग संख्या 256/11 धारा 143, 341, 323, 379, 120बी भादस, अभियोग संख्या 216/12 धारा 341, 323, 379 भादस व 3 एससी/एसटी एक्ट, अभियोग संख्या 325/12 धारा 143, 323, 382 भादस, अभियोग संख्या 338/12 धारा 341, 323, 365 भादस में पुलिस थाना चिडावा, जिला झुन्झुनू में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। गैरसायल संदीप उर्फ मोटिया के विरूद्व विभिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन है। गैरसायल संदीप उर्फ मोटिया राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 2 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। गैरसायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से जाहिर है कि उसके उक्त समस्त कृत्य उसे स्वीकार्य है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधो की पुनरावृति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (।।) मे अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः संदीप उर्फ मोटिया पुत्र चन्दगीराम, जाति जाट, निवासी ओजटू, थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (II) के तहत 15 दिन की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त 15 दिन की अवधि में गैर सायल कोतवाली चुरू क्षेत्र में रहेगा तथा वह प्रतिदिन कोतवाली में उपस्थिति दर्ज करवायेगा तथा थाना कोतवाली चुरू इसकी लगातार सूचना पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं, जिला झुन्झुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना चिडावा, जिला झुन्झुनू गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। इस दौरान गैरसायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा। यह निर्णय दिनांक 27.01.2021 के पश्चात 07 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/01/21

(उमर दीन खान)
जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:30:34 IST
Reason: SelfAttested